1. (1) इन नियमों का नाम जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) द्वितीय संशोधन नियम, 1976 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

(3) जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) नियम, 1975 में, अध्याय 9 में,—

(क) शीर्षक में, अंत में, "और विश्लेषकों की अर्हताएं" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) नियम 26 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"26 क. ऐसे व्यक्ति, जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं हों, धारा 53 की यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन सरकारी विश्लेषक के रूप में या बोर्ड के विश्लेषक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र हैं, अर्थात्—

आवश्यक : (i) रसायन में एम०एस०सी० की उपाधि या समतुल्य अथवा रासायनिक इंजीनियरी या जैव-रासायनिक इंजीनियरी में स्नातक की उपाधि ; और

(ii) किसी अध्यापन, अनुसंधान या सरकारी प्रयोगशाला में जल, वाहित मल (सीवेज) या औद्योगिक अपशिष्ट के विश्लेषण में 10 वर्ष का अनुभव ।

वांछनीय : (i) रसायन या जैव-रसायन में डाक्टर की उपाधि अथवा रासायनिक इंजीनियरी या जैव-रासायनिक इंजीनियरी में मास्टर की उपाधि ;

(ii) उस क्षेत्र में प्रकाशित पत्रों का साक्ष्य ।"

[सं० क्यू० 15015/10/75-ई०पी०सी०]

जे० ए० समद, अवर सचिव

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 17th August, 1976

G.S.R. 1260.—In exercise of the powers conferred by section 63 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), the Central Government, after consultation with the Central Board for the Prevention and Control of Water Pollution, hereby makes the following rules further to amend the Water (Prevention and Control of Pollution) Rules, 1975, namely :—

1.(1) These rules may be called the Water (Prevention and Control of Pollution) Second Amendment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) In the Water (Prevention and Control of Pollution) Rules, 1975, in Chapter 9,—

(a) in the heading, the words "AND THE QUALIFICATIONS OF ANALYSTS" shall be inserted at the end ;

(b) after rule 26, the following rule shall be inserted, namely :—

"26A. Persons possessing the following qualifications are eligible for appointment as Government Analysts or as Board Analysts under sub-section (1) or sub-section (3), as the case may be, of section 53, namely :—

Essential.—(i) M.Sc. Degree in Chemistry or equivalent or Bachelor Degree in Chemical Engineering or Bio-chemical Engineering ; and

(ii) 10 years' experience in analysis of water, sewage or industrial wastes in teaching, research or Government Laboratory.

Desirable.—(i) Doctorate Degree in Chemistry or Bio-chemistry or Master's Degree in Chemical Engineering or Bio-chemical Engineering ;

(ii) Evidence of published papers in the field."

[No. Q-15015/10/75-EPC]

J. A. SAMAD, Under Secy.

(नगर भूमि अधिकतम सीमा एकक)

नई दिल्ली 19, अगस्त, 1976

सा०का०नि० 1261.—केन्द्रीय सरकार, नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 33) की धारा 46 की उपधारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) नियम, 1976 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) पांचवां संशोधन नियम, 1976 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) नियम, 1976 के भाग 1 में, क्रम संख्यांक 8 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :

(1)	(2)	(3)	(4)
9. पश्चिमी बंगाल	अधिनियम के अधीन प्रत्येक आदेश जो धारा 11 अथवा धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन आदेश से भिन्न आदेश है ।	(क) कलकत्ता की नगर बस्ती का उतना भाग जो कलकत्ता निगम की अधिकारिता के भीतर आता है ।	सदस्य, राजस्व बोर्ड, पश्चिमी बंगाल ।
		(ख) कलकत्ता नगर बस्ती का उतना भाग जो हावड़ा नगर निगम की अधिकारिता के भीतर आता है ।	अतिरिक्त सदस्य, राजस्व बोर्ड, पश्चिमी बंगाल
		(ग) कलकत्ता नगर बस्ती (जिसके अन्तर्गत उसका उपान्त क्षेत्र भी है) का उतना भाग जो नादिया, हावड़ा और 24 परगना जिलों में स्थित है, किन्तु कलकत्ता निगम और हावड़ा के नगर निगम के भीतर के क्षेत्र को अपवर्जित करते हुए ।	आयुक्त, प्रेसीडेंसी डिविजन ।
		(घ) (1) कलकत्ता नगर बस्ती (जिसके अन्तर्गत उसका उपान्त	आयुक्त, बर्दवान डिवीजन ।